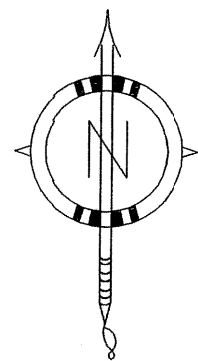


Layout Plan of AUDIT CITY KALYAN NAGAR

Khasra No. 1405/870,1407/871,847,848,851,1068/845,1401/1067,1403/1069,1409/876
At Village Peepla Bharatsingh Tehsil Sanganer Jaipur

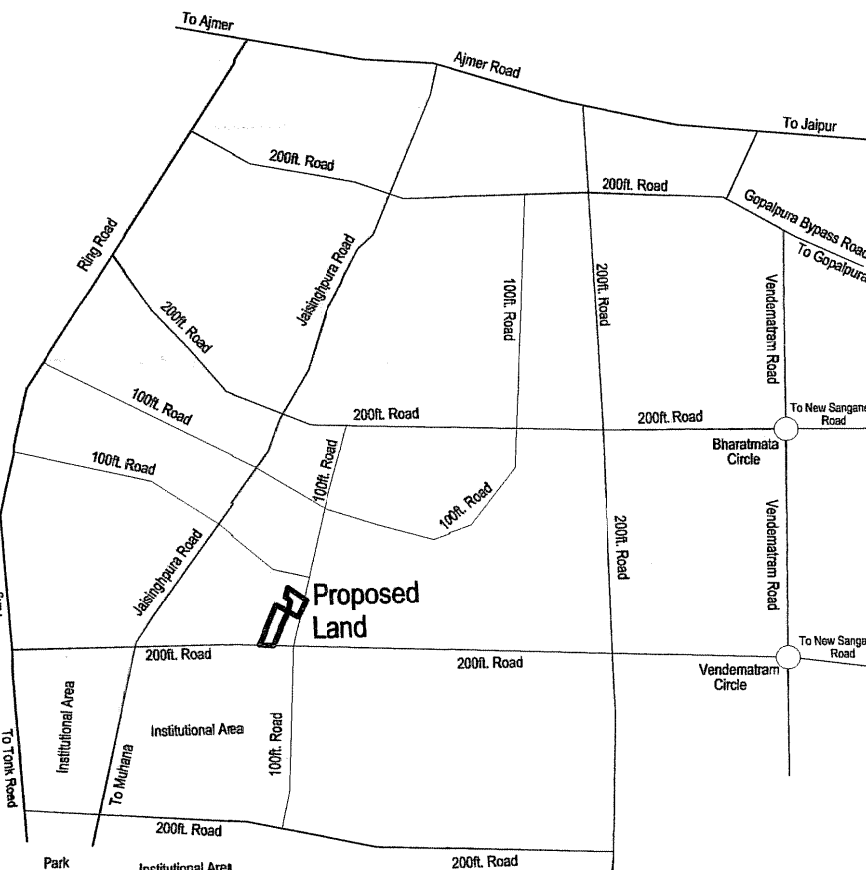
1383
B.
12.1.24.



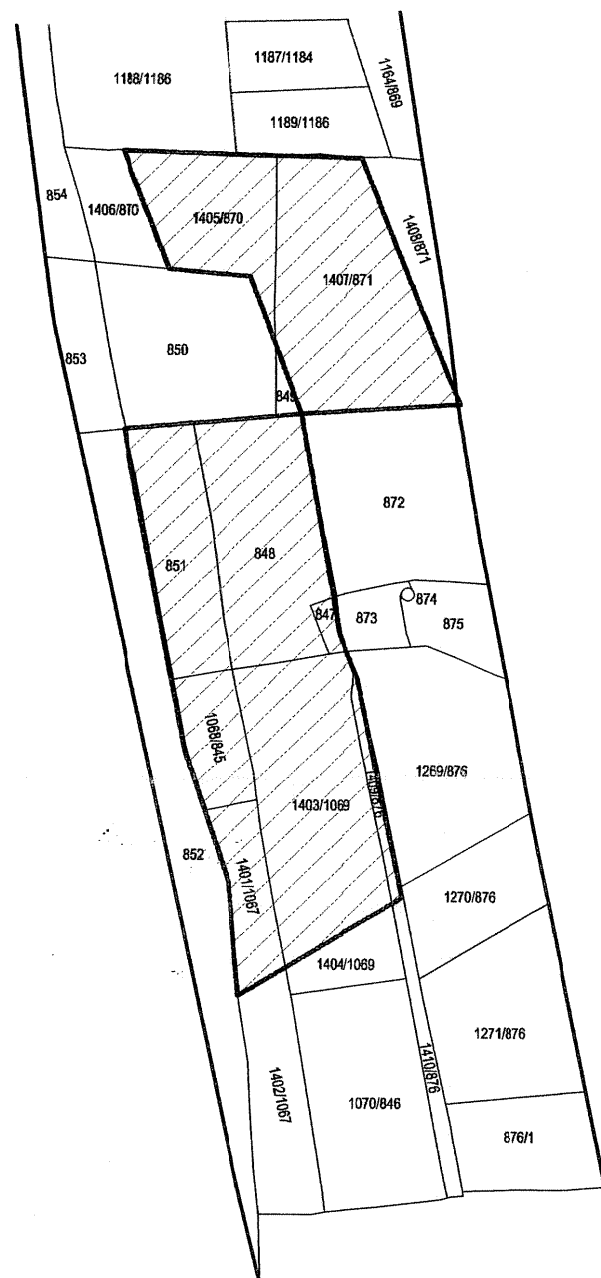
Scale:- 1:700

J.D.A.

KEY MAP :-



KHASRA MAP :-



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- पूर्ण निर्मित भूखण्ड (B.)
- आंशिक निर्मित भूखण्ड (C.W.)
- खाली भूखण्ड (V.)

कुल भूखण्ड -

LAND USES OF SCHEME :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	11121.12	56.45 %
2	COMMERCIAL	694.00	03.52 %
3	INFORMAL COMMERCIAL	394.00	02.00 %
4	PARK	985.00	05.00 %
5	S.W.M	50.00	00.25 %
6	PUBLIC UTILITY	10.00	00.05 %
7	MOBILE TOWER	20.00	00.10 %
8	Road	6425.88	32.63 %

TOTAL SCHEME AREA 19700.00 100.00 %

SCHEME NAME :- Audit City Kalyan Nagar

AT VILLAGE - PEEPLA BHARATSingh, TEHSIL - SANGANER, JAIPUR

ZONE NO. :- 11

SCALE :- 0

NORTH :-

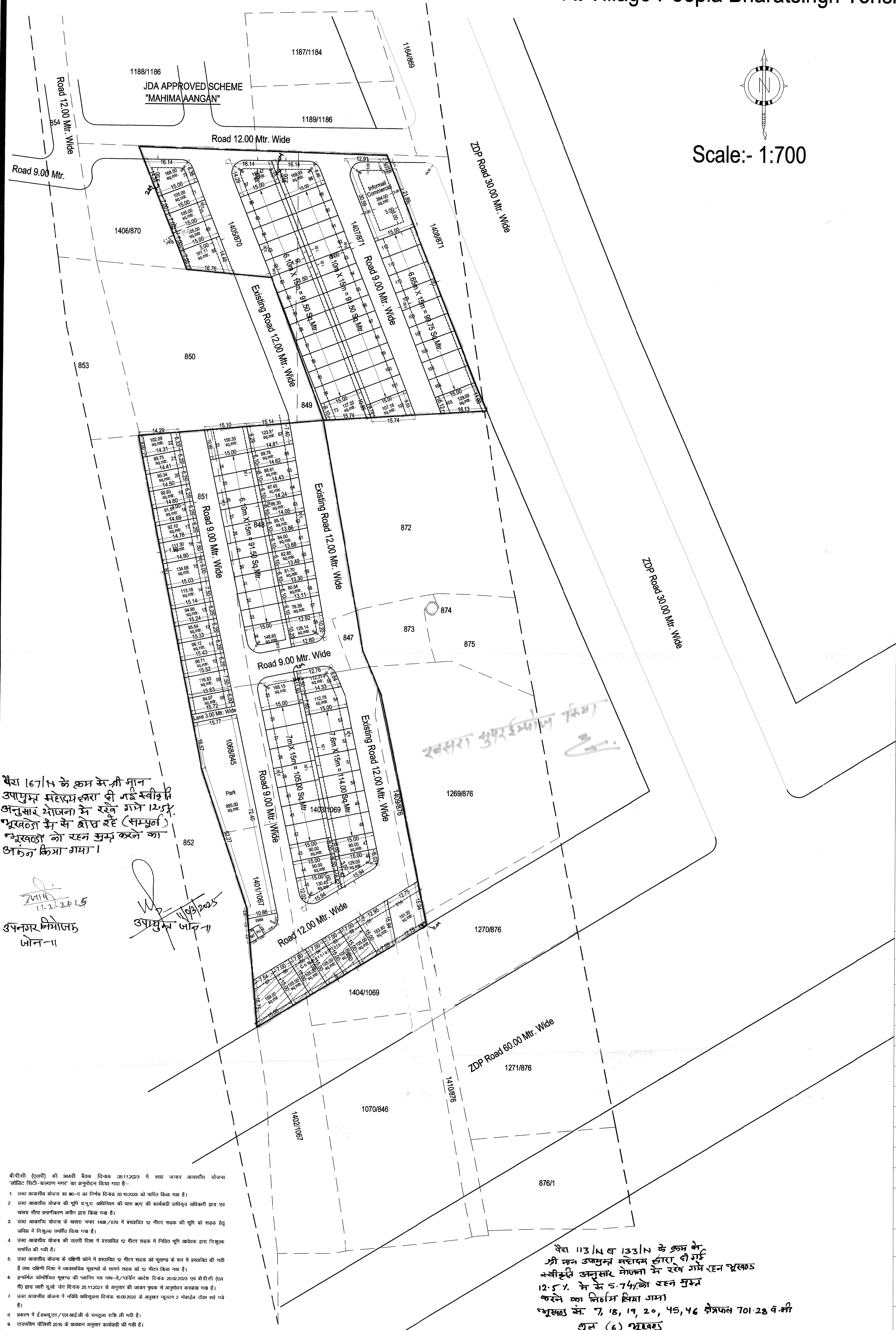


A.T.P.

D.T.P.

S.T.P.

CONSULTANT :-



वेरा 167/14 के क्रम में श्री मान
उपायुक्त महोदय द्वारा की गई स्वीकृति
अनुसार योजना में रखा गया 12.5%
भूखण्डों में से दो (2) रखा गया है।
भूखण्डों को रखा गया करने का
आदेश किया गया।

उपनगर निर्माण
जोन-11

उपायुक्त (जोन-11)

रखेसरा उपनगर निर्माण
जोन-11

वेरा 113/14 व 133/14 के क्रम में
श्री मान उपायुक्त महोदय द्वारा की गई
स्वीकृति अनुसार योजना में रखा गया 12.5%
भूखण्डों में से दो (2) रखा गया है।
भूखण्डों को रखा गया करने का
आदेश किया गया।

उपनगर निर्माण
जोन-11

उपायुक्त (जोन-11)

1. इस आदेशिका योजना का 80-ए का निर्माण दिनांक 05.11.2023 में रखा जाकर अन्तरालीय योजना
ऑडिट सिटी-कल्याण नगर का अनुमोदन किया गया है।
2. इस आदेशिका योजना की भूमि चयन आदेशिका की धारा 847 की कार्यवाही प्रक्रिया अधिनियम 1986 एवं
संशोधित अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया गया है।
3. इस आदेशिका योजना के अन्तर्गत 1405/870 में प्रस्तावित 12 मीटर सड़क की भूमि को सड़क हेतु
जिम्मेदार निगम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया गया है।
4. इस आदेशिका योजना की उत्तरी दिशा में प्रस्तावित 12 मीटर सड़क में निहित भूमि खंडों को सड़क
जिम्मेदार निगम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया गया है।
5. इस आदेशिका योजना के उत्तरी दिशा में प्रस्तावित 12 मीटर सड़क को मुख्य सड़क के रूप में प्रस्तावित की गयी
है जिसे नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में अन्तर्गत किया गया है।
6. इन्फार्मल आवासीय भूखण्डों को पारितोषिक धारा 847 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2023 एवं नक्काशी दिनांक 05.11.2023
में सड़क की भूमि को सड़क हेतु जिम्मेदार निगम अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किया गया है।
7. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
8. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
9. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
10. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
11. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
12. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।
13. इस आदेशिका योजना में नक्काशी दिनांक 05.11.2023 के अन्तर्गत भूखण्ड 2 नक्काशी दिनांक 05.11.2023 में
रखा गया है।

उपनगर निर्माण
जोन-11

उपायुक्त (जोन-11)